AC-II

जयराम बनाम बाबूलाल वगै०

सरकार T.I.No. 11/2012

कार्यालय टिप्पणी

जी. ई. एन. 18

4/1/23 पेश हुई
वकील आवे- आवे/ कार्य- प्रतिवादी उपस्थित
पत्रावली पावे सुनी/ जवाब/ कार्यवाही/
सुधा/ नरेश/ पुर्वानुसार
हेतु दिनांक 27/1/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर

27/01/23 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलकर्ता उपस्थित। अपीलकर्ता की बहस T.I. पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय सतावेजात अवलोकन किया गया। मूलपाठ बाबत घोषणा, दुरस्ती इन्द्राज भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है। मूलपाठ में अपीलार्थीगण अपने अधिकारों की घोषणा करा पाने के अधिकारी है अथवा नहीं यह मूलवाद में निर्धारित किए जाने वाला बिन्दु है। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता प्रतित होता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है। अपीलार्थी संख्या 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से तावसला मूलवाद पावंड किया जाता है की आराजी आराजी संख्या 256, 257, 258/1, 259/1, 382/197, 386/205, 387/205, कुल किता 7 कुल रकबा 0.6473 हैक्टेयर वाके मौजा रामपुरावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर के कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/01/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय